मुन्तकिली प्रकरण संख्या 31/2018 अनुवानी गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति 28 बी बी तहसील पदमपुर

<u>बनाम</u>

भगतसिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 28 बीबी, तहसील पदमपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>23–5–18</u>

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह व प्रार्थी समिति के अध्यक्ष को रूक रूक कर बार–बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये है और न ही प्रार्थी की ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित आया है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय मे लम्बित प्रकरण अनवानी भगत सिंह बनाम अमर कौर अन्तर्गत धारा 88–92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर उक्त प्रकरण किसी अन्य़त्र सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिले किये जाने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय मे पेश किया गया है।

चूंकि प्रार्थी व उसके अभिभाषक श्री कुलविन्द्र सिंह बार बार अवाज लगाने के बावजूद भी उपस्थित नही आये है और न ही उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि अब प्रार्थी को उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिये यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी खारिज करने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावे ।

यह आदेश आज दिनाक 23–5–18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर